

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

न्यायालय

लीलाराम बनाम शमेश्वर कौर

मुकदमा संख्या / वर्ष १४/२०२० : दावा / 20

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>29-5-2020 ० यह वाद का इकोकेट श्री अमरेश कुमार शर्मा ने पेश किया। रिपोर्ट सरिलता की गयी। उक्त फर्द शमेश्वर किया जाकर वाले तल्बी प्रतिकारीगत दिनांक 11-6-2020 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>11-06-20 कोरोना वायरस के कारण वात प्रसंगिके धन डाँ प्रामाणिक कार्य स्थगित रखा गया। गत आदेश की शर्तों में दिनांक 16-7-20 को पेश हो</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p> <p>14-7-20 फावली आज दोगे पक्षों द्वारा राजीनामा पेश करने पर पेशी से तलब की गयी। उपपक्ष कारण मज अधिवक्तागत उपस्थित उनकी पहचान की गयी। पापक अनुसार दावा विद्रा करने की प्रार्थना की गयी। बहस छुनी गयी प्राचीन स्वीकृति की जाकर विद्रा करने की अनुमति दी गयी। अतः दावा विद्रा किये जाने को अनुमति की स्वीकृति के साथ वाद पत्र खारिज किया जाता है। फावली फैसल शुभकर दिक दाविल दफतर दे म्बर से कम है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	

लीलाराम
शमेश्वर कौर
14/7/20

